

श्रमायुक्त कार्यालय  
मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

न्यूनतम वेतन  
एवं  
मंहगाई भत्ते की दरे

दिनांक 01/04/2016 से प्रभावशील

---

---

---

न्यूनतम वेतन दरें श्रम विभाग की वेबसाइट  
[www.labour.mp.gov.in](http://www.labour.mp.gov.in) पर उपलब्ध है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948  
के अंतर्गत श्रमिकों हेतु दिनांक

01 / 04 / 2016  
से प्रभावशील  
न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील  
मंहगाई भत्ते की दरें

1 से 36, 39 से 55 एवं 57 से 66 तक कुल 63 नियोजन

63 नियोजन पृष्ठ क. 01-12

प्रदेश के विभिन्न शासकीय एवं  
दैनिक वेतन वेतन भोगी कर्मचारी  
हेतु अनुसूची “क” पृष्ठ क. 13

कृषि नियोजन पृष्ठ क. 14-16

बीड़ी नियोजन पृष्ठ क. 17-24

अगरबत्ती उद्योग पृष्ठ क. 25-30  
अन्य पृष्ठ क. 31-32

अकुशल, अर्द्ध कुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों के वर्गीकरण की सूची में म.प्र. शासन द्वारा  
दिनांक 10.10.2014 को जारी गजट नोटिफिकेशन के आधार पर नये पद शामिल किये गये हैं।

## श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांक: 1/11/अन्वे/पांच/2015/10501-800,

इंदौर, दिनांक 01-01-16,

### अधिसूचना

मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सह पठित मध्यप्रदेश श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82 दिनांक 25.5.1982 के अनुसरण में, मैं एतद द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया, जुलाई 2015 से दिसम्बर 2015 तक के माहों के लिये निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ :-

माह / वर्ष 2015	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जुलाई	263
अगस्त	264
सितम्बर	266
अक्टुबर	269
नवम्बर	270
दिसम्बर	269
(औसत)	1601 ÷ 6 = 267

तथा इनका औसत 267 घोषित करता हूँ, जो कि अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 41(बी)-1-2014-ए-सोलह दिनांक 29.9.2014 जो (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014) में प्रकाशित अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों को दिनांक 1.04.2016 से 30.9.2016 तक परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है।

( के.सी. गुप्ता )

श्रमायुक्त,

मध्यप्रदेश, इंदौर

एवं न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत

सक्षम प्राधिकारी

## श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

### परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 358 से 380, 384 से 394 एवं 395 से 400 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना, क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241(जनवरी-जून 2014), 2001=100 को आधार मानकर संबंद्ध की गई है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन इंदौर की अधिसूचना क्रमांक 1/11/अन्वे./ पांच/2015/ 10.5701-6000..... दिनांक 1.04.2016 के अनुसार जुलाई 2015 से दिसम्बर 2015 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 267 रहा है, जिसके कारण गत छः माही के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत 256 के ऊपर (267-256)=11 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है जिसके परिणाम रूवरूप 63 अनुसूचित नियोजनों में अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये 25 प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रूपये (25X11)=275 प्रतिमाह की वृद्धि हुई है तदनुसार अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241(2001=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (267-241)=26 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रूपये (25X26)=650.00 प्रतिमाह या (650÷26) रूपये 25.00 प्रतिदिन एवं अकुशल श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (267-253)=14 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि (25X14)=350 प्रतिमाह या (350÷26)रूपये 13.46 दिनांक 1.04.2016 से 30.09.2016 तक देय है। (अनुसूची अ.ब.स के लिए)

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 303/आर/577/92/नि-5/4, दिनांक 30 जून, 1992 तथा मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2 (घ) में निहित प्रावधान सहपठित मध्यप्रदेश श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.82 के अनुसरण में, मैं एतद् द्वारा शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये दैनिक वेतन की दरें संपूर्ण मध्यप्रदेश के लिये अनुसूची "क" के अनुसार निर्धारित करता हूं, जो दिनांक 1.04.2016 से 30.09.2016 तक देय है।

3

## अनुसूची - अ

63 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (आंकड़े रूपयों में)

न्यूनतम मूल वेतन	परिवर्तनशील महगाई भत्ता	कुल वेतन	रूपये में श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन परिवर्तनशील महगाई	कुल वेतन रूपये में रातणु अप कर दैनिक दरे
			राजपदउप कर दैनिक दरे	भत्ता	

प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
( दिनांक 01.10.2015 से 31.03.2015 तक )											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5939.00	228.42	75.00	2.88	6575.00	252.88	253.00	अकृशल	6500.00	250.00	350.00	13.46	6850.00	263.46	263.00
7057.00	271.42	375.00	14.42	7432.00	285.84	286.00	अर्धकृशल	7057.00	271.42	650.00	25.00	7707.00	296.42	296.00
8435.00	324.42	375.00	14.42	8810.00	338.84	339.00	कृशल	8435.00	324.42	650.00	25.00	9085.00	349.42	349.00
9735.00	374.42	375.00	14.42	10110.00	388.84	389.00	उच्च कृशल	9735.00	374.42	650.00	25.00	10385.00	399.42	399.00

## स्पष्टीकरण—

- (1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राजपद अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित विभाग के परिपत्र क्रमांक एक 9-7 / 2006 / नियम / चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- (2) अकृशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरों शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253(2001=100)जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो प्रतिविन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।

  
 ( के.सी.गुरा )  
 श्रमायुक्त,  
 मध्यप्रदेश, इंदौर

टीप :—न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, के अंतर्गत 63 अनुसूचित नियोजनों की सूची परिशिष्ट—अ तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट—ब में देखें।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, के अन्तर्गत अनुसूचित नियोजन जिनमें वेतन  
निर्धारित है  
भाग—एक

क्र.	अनुसूचित नियोजन
1.	किसी कपास जिर्णीग एवं प्रोसेसिंग कारखाने में नियोजन
2.	किसी वन लगाने तथा वन उपज में नियोजन
3.	किसी मार्गों के निर्माण या सम्हाल या भवन निर्माण कार्य में नियोजन
4.	किसी लोक मोटर परिवहन में नियोजन
5.	किसी इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन
6.	किसी सिंचाई कारों के निर्माण तथा संधारण में नियोजन
7.	किसी केमिकल तथा फार्मास्युटिकल्स में नियोजन
8.	किसी आरा मिल में नियोजन
9.	किसी तेल मिल में नियोजन
10.	किसी चावल मिल या आटा मिल या दाल मिल में नियोजन
11.	किसी मुर्गा पोहा निर्माणी में नियोजन
12.	किसी खाद्य पदार्थ में जिसमें केक, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, आईस्क्रीम, आईसकेंडी सम्मिलित हैं, के निर्माण में नियोजन
13.	किसी पत्थर तोड़ने या पत्थर पीसने के कार्य में नियोजन
14.	किसी दूकान वाणिज्यिक संस्थान, आवासीय होटल, रेस्टारेंट तथा नाट्यगृह में नियोजन
15.	किसी मुद्राणालय में नियोजन
16.	किसी सीमेंट पोल अथवा सिमेंट से निर्मित उत्पाद में नियोजन
17.	किसी प्लास्टिक उद्योग में नियोजन
18.	किसी फ्यूएल कोक में नियोजन
19.	किसी चूना भट्टे में नियोजन
20.	किसी इंट भट्टे में नियोजन
21.	किसी पावर लूम /जिसमें सायजिंग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित हैं/ में नियोजन
22.	किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन
23.	किसी कोसा उद्योग में नियोजन
24.	किसी खांडसारी उत्पादन में नियोजन
25.	किसी पाटरीज जिसमें रिफेक्ट्री सामान, फायरब्रिक्स, सेनिटरी वेअर, इन्सुलेट्स, टाइल्स, (सिमेंट से निर्मित टाइल्स को छोड़कर) स्टोन वेअर पाईप्स, फरनेस, लाईनिंग ब्रिक्स तथा अन्य सीरेमिक्स सामान सम्मिलित हैं, में नियोजन
26.	किसी कम्बल निर्माण कार्य में नियोजन
27.	किसी स्लेट, पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन
28.	किसी कत्था उद्योग में नियोजन
29.	किसी रामरज गेरु के निर्माण में नियोजन
30.	किसी हथकरघा उद्योग में नियोजन
31.	किसी बोनमिल में नियोजन
32.	किसी टाइल्स, जिसमें मैंगलोर टाइल्स, अलाहाबाद टाइल्स तथा अन्य स्थानीय नाम में प्रचलित टाइल्स सम्मिलित हैं, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाइल्स सम्मिलित नहीं है, के निर्माण में नियोजन

33.	किसी विनिर्माण प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया जो कि कारखाना अधि., 1948 की धारा दो (क) में परिभाषित की गई है। चलाई जाती है। जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रविष्टि के अन्तर्गत नहीं आती है, में नियोजन
34.	किसी प्रायवेट अस्पताल जिसमें परामर्श केंद्र तथा विकृति विज्ञान(पेथालोजिकल) प्रयोगशाला सम्मिलित है में नियोजन
35.	किसी प्रायवेट शैक्षणिक संस्था , जिनमें कोचिंग केन्द्र भी सम्मिलित हैं, में नियोजन
36.	किसी तैयार किये गये (रेडिमेड) वस्त्र विनिर्माणशाला में नियोजन
39.	किसी खदान जैसे कंकड़,मुर्म,लेट्राईट,बोल्डर,ग्रावेल शिंगड़ा, साधारण रेती,बिल्डिंग स्टोन,रोड मेटल,अर्थ फुलर्स अर्थ और लाईम स्टोन तथा अन्य खदान जो खान अधिनियम की धारा 3 के अधीन छठ प्राप्त है,में नियोजन
40.	किसी ऑटोमोबाइल्स कर्मशाला एवं मरम्मत हेतु संचालित गैरेजस में नियोजन
41.	किसी बेकरी में नियोजन
42.	किसी कोल्ड स्टोरेज(शीतागार) में नियोजन
43.	किसी दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापना में नियोजन
44.	किसी होटल रेस्टोरेन्ट तथा भोजनालय में नियोजन
45.	किसी सिनेमागृहों या थियेटरों में नियोजन
46.	किसी क्लब में नियोजन
47.	किसी आसवनी या किसी अल्कोहलयुक्त
48.	किसी अधिवक्ता या अटार्नी के कार्यालय में नियोजन
49.	किसी हेअर कटिंग सेलुन या ब्यूटी पार्लर में नियोजन
50.	किसी उर्वरक या पेस्टीसाईड(कीट नाशक दवा) के विनिर्माण में नियोजन
51.	किसी ड्रिलिंग प्रचालन या ट्यूबवेल के अनुरक्षण में नियोजन
52.	किसी इलेक्ट्रिनिक्स या सहबद्ध कार्य में नियोजन
53.	किसी पेट्रोल या डीजल पम्पों में नियोजन
54.	मिट्टी के किसी खुदाई कार्य में नियोजन
55.	किसी सोने और चांदी की वस्तुओं के विनिर्माण में नियोजन
57.	किसी ऑटो रिक्षा और टेक्सी चलाने के कार्य में नियोजन
58.	किसी विपणन सोसायटियों, उपभोक्ता कोआपरेटिव सोसायटी और सहकारी बैंक(को-आपरेटिव बैंक में नियोजन)
59.	किसी होजयरी में नियोजन
60.	किसी साबुन निर्माण (जिसमें डिटरजेन्ट भी शामिल है) में नियोजन
61.	किसी डेयरी और दूध से उत्पादित वस्तुओं में नियोजन
62.	किसी खिलौना निर्माण,जिसमें कपड़े से निर्मित खिलौने भी सम्मिलित हैं,में नियोजन
63.	किसी सुरक्षा कार्य तथा डिटेक्टिव सेवाओं में नियोजन
64.	किसी कुरियर तथा गैर सरकारी डाक सेवाओं में नियोजन
65.	किसी डाटा प्रोसेसिंग कार्य में नियोजन
66.	किसी अचार,बड़ी,पापड़ तथा ऐसे ही खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण में नियोजन

## भाग-दो

1.	कृषि में नियोजन
----	-----------------

  
 ( के.सी.गुप्ता )  
 श्रमायुक्त  
 मध्यप्रदेश, इन्दौर

### स्पष्टीकरण

#### स्पष्टीकरण:-

1. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिये (1) इस अधिसूचना के द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह कलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगा, यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम के अनुसार संबंधित कलेंडर मास के समस्त अवकाश के दिनों का लाभ उठाया हो और यदि किसी संदर्भ में एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।

2. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताए गये हैं वे उदाहरण स्वरूप हैं न कि विस्तृत तथा वर्ग कर्मचारी जो

इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं है, के लिए न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है।

3. कुशल, अर्धकुशल तथा अकुशल कर्मचारियों की परिभाषा :-

(क) “कुशल कर्मचारी” से अभिप्रेत है जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सकें, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर सकें तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सकें, उसे उस व्यवसाय शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना चाहिए।

(ख) “अर्द्धकुशल कर्मचारी” से अभिप्रेत है जो सामान्यतः रोजमर्रा का एक निश्चित स्वरूप का काम करता हो जिसमें कि उसमें उतनी निर्णय, बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो किंतु उसमें सापेक्षित रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सौंपे जाए, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हों और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हों, इस प्रकार उसका कार्य बंधे बंधाये रोजमर्रा के कार्य के करने तक ही सीमित है।

(ग) “अकुशल कर्मचारी” से अभिप्रेत है जो, ऐसे सरल कार्य करना है जिसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्ण अनुभव की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है। इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं तथा माल तथा सेवाओं से परिचित होना चाहिए।

(घ) “उच्च कुशल कर्मचारी” वह है जो तकनीकी एवं विशिष्ट स्वरूप का कार्य करने में पूर्ण रूप से दक्ष हो, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके एवं तकनीकी डिग्री एवं डिप्लोमाधारी हो, उसे व्यवसाय, तकनीकी शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विशिष्ट ज्ञान होना अपेक्षित है।

अति कुशल कार्य से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसे करने के लिए सघन तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण या कठिपय उचित अवधि के व्यवहारिक कार्य अनुभव से अर्जित संपूर्णता और पूर्ण सक्षमता की आवश्यकत होती है और कर्मकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन कार्यों के निष्पादन के बाबद किये जाने वाले निर्णयों या विनिश्चयों के लिए पूरा जिम्मेदार हैं।

उच्च कुशल या अतिकुशल कर्मचारी वह है जिसने किसी स्तरीय तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात उचित अवधि का व्यवहारिक कार्य अनुभव प्राप्त किया हो। जिसके आधार पर उसे सौंपे गये कार्य को दक्षतापूर्वक एवं काफी हद तक स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए संपादित कर सकता हो तथा कार्य संपादन में तात्कालिक रूप से आवश्यक सातान्य निर्णय ले सकता हो। ऐसा कर्मचारी तकनीकी डिग्री या डिप्लोमाधारी हो जिन्हे उस व्यवसाय, तकनीकी, शिक्षा या उद्योग का समुचित ज्ञान हो, जिसमें वह नियोजित किये जा रहे हैं।

- (4) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है।
- (5) किसी भी स्थापना अथवा उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जावेगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते दिये जाने का पालन किया जा रहा है। यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते का योग अधिसूचित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से कम है, तो श्रमिक अंतर की राशि के लिए पात्र होंगे।
- (6) न्यूनतम वेतन की दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किए अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।
- (7) जहां कर्मचारी खण्डदर पर नियोजित हो, और इस अधिसूचना में उसके लिए खण्डदर इस प्रकार निर्मित की जावे, जो आठ घंटे, दैनिक, छः दिन कार्य करते हैं, एवं एक दिन सर्वैतनिक अवकाश देने पर समय—समय पर निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम न हो।
- (8) यदि एक से अधिक नियोजनों में एक ही स्वरूप का कार्य होता है, तो कार्यरत कर्मचारियों को बेहतर दरें देय होगी।
- (9) कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताये गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं, न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं है, के लिए न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है। श्रमिकों एवं कर्मचारियों के वर्गीकरण की सूची संलग्न है।



( के.सी. गुप्ता )  
श्रम आयुक्त,  
मध्यप्रदेश, इंदौर

## अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों एवं कर्मचारियों के वर्गीकरण की सूची:-

### अकुशल:-

मजदूर (पुरुष एवं महिला) भिश्ती, स्वीपर, क्लीनर/ हेल्पर, माली, चपरासी, चौकीदार, आईल डालनेवाला, वॉटर मेन (खल्लासी), क्लीकल अटेंडेंट, पहरेदार, कुली, डाकरनर, वॉचमैन, बाटल क्लीनर, वेटर, सर्विस मैन, गैट कीपर, ट्राली बाय, पोस्टरमैन, वेन्डर, प्रेसमैन, छेड़वाला, सिलाई ओपनिंग, डंपिंग कार्य करने वाला, चरवाहा, कांजी हाउस मेन, लायर्सेंस वेंडर, बालवाड़ी आया, ग्राम लक्ष्मी, जमादार, मजदूर, प्याऊ पर पानी पिलाने वाला तथा अन्य अकुशल श्रमिक, रोल कटर, जिन मुकादम, जिन मुकादमी, कपास करियर (डाले वाला), गनी बेग फीलर, लिटकेरियर, कॉटनशीट्स केरियर, कपास पीकर, जिन फाईर, झाड़वाला, बॉडेवाली, वाशर, वाहन की सफाई करने वाला, प्यून (भृत्य), सफाई कर्मचारी, कोसा फलों की गिनती करने वाला, कोसा फलों को छाटने वाला, कोसा फलों को भांप देने वाला, कोसा फलों को सूखाने वाला, कोसा फलों की नस्सी काटने वाला, कोसा फलों को बोरी में भरने वाला, बोरों की सिलाई करने वाला, गन्ना डालने वाला, खोई सुखाने के काम में लगे श्रमिक, रसोईये के सहायक, हवलदार, कांडिंग लेफा पेकर, बोरी भराई, छनाई, ढुलाई, वेगन लदाई या खाली कराई के काम में लगे श्रमिक, आया, वार्ड बाय, सेक्यूरिटी गार्ड, सुरक्षा कर्मी, अप्रशिक्षित माली, अटेन्डर, अटेंडेन्ट, वार्ड सप्लायर, पेंटर, सजावट करने वाला (महिला एवं पुरुष), फायरमैन, श्रमिक (किलन्स), सेटर्स (किलन्स), कांडिंगलेफा, चादर में गोटा लगाने वाला, हम्माल, रेजा, हड्डी ढोने तथा साफ करने वाला, मिट्टी ढोने एवं भरने वाला, प्रेस का काम करने वाला, लान्ड्रीमैन, वाशरमैन, लोडिंग—अनलोडिंग, माला गुथना, पापड़ बेलने का कार्य, बेलबॉय, वेटर, रूमअटेन्डेन्ट, बालवाड़ी आया, धागाकटिंग चेकिंग, बाटल एवं डिब्बे की सफाई धुलाई वाला।

### अर्द्धकुशल:-

तार स्प्रेआर, तार हेण्डलर, कारपेट ड्रेसर, व्हाईट वाशिंग/सफेदी वाला, टाईल टर्नर, प्रेशर, टाईपिस्ट, क्लर्क, मोहर्रि, सहायक मिस्त्री, लाईनमेन, सहायक बिजली मिस्त्री, सहायक आपरेटर, वाटर वर्क्स, कोबलर, हाफ प्रेस मेन, बिल मेन, यातायात कर्मचारी—गण, सहायक मेकेनिक, सहायक फिटर, सहायक टर्नर, सहायक ड्रीलर, सहायक ग्राइन्डर, सहायक कारपेन्टर, सहायक पेन्टर, सहायक टीकर, सहायक ब्लेकस्मिथ, सहायक मॉल्डर, सहायक वेल्डर, सहायक वल्कनाईजर, सहायक इलेक्ट्रिशियन, सहायक शेपरमेन, सहायक पेटर्न मेकर, सहायक ग्रासर, सहायक आईलर, सहायक टायर फिटर, चालक (हल्के वाहन), परिचालक, जांच करने वाला निरीक्षक, वालमेन, फायरमेन, लिपिक, पम्प अटेन्डेन्ट, व्हीलरो केरियर, क्वेरीमैन, व्हायटिंग, किलनिंग, प्रेसरी झायकर, टेबलेट मशीन आपरेटर, बोतल फिलर, केप्सूल फिलर, पेकिंग, लेबलिंग के कार्य में लगे श्रमिक, मुकादम, आईलमेन, मेट, हेड मजदूर, वायरमेन, एक्सपेलर मेन, मशीन अटेन्डेन्ट, बिल कलेक्टर, बिल क्लर्क, सहायक आपरेटर, रिवाईन्डर, बुकिंग सहायक, सहायक रसोईया, पेटीमैन, सहायक सेल्समेन, मशालची, सहायक मेसन, गारेवाला, मिट्टी गुथने वाला, या मिट्टी का घोल बनाने वाला तथा निकालने वाला, भट्टे या चिमनी पर ईंट जमाने वाला, मशीन फोलर, स्टीपर फोलर, हेडफोलर, काटा फोलर, गांठवाला, सहायक जावर, सह सचिव, जनपद पंचायत, ग्रम पंचायत, साईजर, मशीन पर कोसा फल से धागा निकालना तथा धागे को मशीन से ट्वीस करने के कार्य में लगे श्रमिक, सहायक सुपरवाईजर, फोरमेन के सहायक, शक्कर बनाने वाला कारीगर, फिनिशिंग कार्य में सहायक कताई कर्मचारी, उन कताई कार्य के कतिनें, कटर होजियरी, चीफर, सहायक पेन आपरेटर, शार्टर, मुंशी, फार्मेसी असिस्टेंट, एक्सरे असिस्टेन्ट, ई.सी.जी. असिस्टेन्ट, असिस्टेन्ट कम्पाउन्डर, असिस्टेन्ट नर्स, लिफ्ट मेन, सहायक सिक्यूरिटी सुपरवाईजर, कापिस्ट, असिस्टेंट हेमरमैन, सहायक मशीन ऑपरेटर, मशीन अटेन्डेन्ट, पम्प खलासी, डम्पिंगवाला, सिलाईवाला, हेल्पर, किलन्स शॉप श्रमिक, पम्प आपरेटर एवं मैक्समूलर, किलन्स श्रमिक, ब्लेजर पेन मिल, फिवशन, प्रेस श्रमिक, गार्डनर (प्रशिक्षित माली), पंचमिक्सर, बी एवं सी मिक्समैन, कास्टर किलन्स, किलन्स अनलोडर्स, होजियरी

मशीन हेल्पर, सहायक बेन्डसा आपरेटर, चिपर, मैकेनिक कम हेल्पर, बेन्डसा मैकेनिक कम हेल्पर, सहायक शॉल्टर, सहायक मशीनमैन, बिक्री सहायक, सूत स्टॉक इंचार्ज, मशीन आपरेटर, सहायक मिक्सरमैन, सहायक टेक्निशियन, डार्क रूम सहायक, सहायक जिमट्रेनर, सहायक गेम्स ट्रेनर, सहायक कोच, सहायक सिक्यूरिटी सुपरवाईजर, सहायक माली, सहायक कुक, बुकिंग कर्लक, थ्रेसर, टारस्प्रेयर, आया, पेकिंग वाले, लेअर मेन, शर्ट के पल्ले बिछाने वाला, लुप्स्टकिंग, सहायकआभूषण कारीगर, सहायक पालिश वाला, असिस्टेन्ट सुपरवाईजर, सहायक सिक्यूरिटी सुपरवाईजर, सहायक केमिस्ट, सहायक प्लान्ट ऑपरेटर।

### कुशल:-

गोताखोर, शोवेल एण्ड क्रेन लाईन मोबाईल क्रेन ऑपरेटर, केमिस्ट, खानसामा, कुक (रेसीडेंसी कोठी) ड्रिलिंग मशीन ऑपरेटर, मेंसन, प्लम्बर, पॉलिश पेंटर, वायरमेन, इलेक्ट्रिशियन (आई.टी.आई. पास) या मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल से लायसेंस धारी, केबिनेट मेंकर, कम्प्यूटर ऑपरेटर, चार्जमेन, एक्सपेलर मास्टर, एकाउण्टेन्ट, केशियर, गोडाऊनकीपर, फिटर, बायलर अटेंडेंट, टर्नर, मोल्डर, इंजिन ड्रायवर, ट्रेक्टर ड्रायवर, ट्रक ड्रायवर, डम्पर ड्रायवर, रोड़ रोलर ड्रायवर, चालक (भारी वाहन), ड्रीलर, ग्राइण्डर, मैकेनिक, वेल्डर, टाईमकीपर, प्रेशर मेन, राईस मिस्त्री, सेलर मिस्त्री, सुपरवाईजर, तंदूरची, टी मास्टर, आर्डर मास्टर, कारीगर, मिठाई बनानेवाला कर्मचारी, कम्पोजिटर, टाईपकास्टर, हैडकल्क, सचिव जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, पर्यवेक्षक, आयुर्वेदिक वैद्य, शिक्षक बालवाड़ी या अशासकीय, आपरेटर वाटर वर्क्स, उपयंत्री बिजली, वाचनालय संयोजक, सीनियर गार्ड, फायरमेन, फिल्टर इंचार्ज आपरेटर, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग स्नातक, एम टेक / एम.एस.सी डिग्री प्राप्त हाईड्रोइंजीनियरिंग, जियालॉजिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी एवं टेक्निकल डिप्लोमाधारी, मुनीम, वूड पॉलिसर, बोरर, टिनस्मिथ, मुख्य लिपिक, स्टोर किपर, ब्लेक स्मिथ, शेपर, व्हल्कनाईजर, टिंकर, फ्रेममेकर, अपहोल्स्टर, कारपेंटर, टेलीफोन आपरेटर, वायरलेस आपरेटर, पेटर्न मेकर, हेमरमेन, ग्रोसर, प्रयोगशाला तकनिशियन, शावल, बेलसिंकर, प्रयोग शाला सहायक, वैथमिक्सर, प्लांट अटेंडेण्ट मोटरमेन, भट्टी वाला, पोहा बनाने वाला, पेंटर, फोटोकॉपी आपरेटर, लोडर्स, अनलोडर्स, लाईन पेकर्स, बिजली मिस्त्री, सिरामिस्ट, टूल्स इंचार्ज, लेथ मशीनिस्ट, कताई इंचार्ज, कंप्रेसर आपरेटर, रिसेप्सनिष्ट, स्टेनोग्राफर, लान्ड्री अटेन्डर, वाहन चालक, कम्प्यूटर टाईपिस्ट, कुक, सेक्यूरिटी सुपरवाईजर, सिनियर कम्पाउन्डर, सिनियर नर्स, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, रेकार्ड कीपर, ओटी मैकेनिक, व्यवस्थापक, छात्रावास प्रभारी (वार्डन), दर्जी रोलर मिस्त्री, तकनीकी कार्य करने वाला व्यक्ति, वाईपर मास्टर, सूत वितरित करने वाला व्यक्ति, बोन क्रशर, चर्खा चालक, मास्टर (कारीगर) जेकार्ड बुनकर, बुनकर, फ्रेमलूम मास्टर, थ्रेसरमैन, पेंटर, वरिष्ठ लेखापाल, स्टोर कीपर, मशीन ऑपरेटर, वुड पॉलीसर, ड्रायकिलनडोजर, स्क्रेपर, डीजल पम्प ऑपरेटर, सिनियर मैकेनिक, केमिस्ट / लेबोरेटरी के सहायक, टेक्निशियन के सहायक, लायब्रेरीयन (ग्रंथपाल) पाईपमेलर ऑपरेटर, पॉलिसर, टूल्स इंजार्च (मेट, फिलिन), मेट, आर्ट सुपरवांयजर, वेड पेन ऑपरेटर, मैकेनिक कम ऑपरेटर, वेडर्स मैकेनिक कम ऑपरेटर, पेट्रस मैकेनिक कम ऑपरेटर, संवैतनिक सचिव, सेल्समेन, आर्ड सिक्यूरिटी गार्ड, बाउन्सर, क्लब मास्टर, जिम ट्रेनर, गेम्स ट्रेनर, कोच, डायटीशियन, मसाजर, केप्टन, बारमेन, स्टुवर्ड, बेकरी कारीगर, ओवन / भट्टी कारीगर, मशीन से मिट्टी खोदने वाले, जेसीबी ऑपरेटर, आभूषण कारीगर, पॉलिश करने वाला, धातू गलाई-पीटना, तार खिचना, आभूषण जड़ाई करने वाला, ऑटो चालक, टेक्सी चालक, सोपमेकर्स, प्लान्ट ऑपरेटर, टॉय मेकर्स, स्टीचर, रिसेप्सनिस्ट, माली, डाटा एनलाईनर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, मसाला मिश्रण करने वाला, आटा गूंथने वाला, चेकर, प्रोजेक्ट ऑपरेटर, प्रोजेक्टनिस्ट, रिवाईन्डर हेडकुक तथा अन्य कुशल कर्मचारी ।

### उच्च कुशल:-

कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह स्टेनोटायपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि

किसी मुद्रणालय (प्रिंटिंग प्रेस) में नियोजित श्रमिकों के वर्गीकरण की सूची :-

उच्च कुशल:-

कम्प्युटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्युटर आपरेटर-सह स्टेनोटायपिस्ट, इंजिनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि  
लिपिकीय श्रेणी "एक" जैसे:-

अकाउण्टेंट, केशियर आदि ।

लिपिकीय श्रेणी "दो" :-

बिलमेन, टायपिस्ट, वल्कर्क ।

कुशल श्रेणी "एक" जैसे :-

फोटोलिथोग्राफर, लिथोऑर्टिस्ट, नेगेटिव स्ट्रीचर, लिथोऑफसेट, प्लेटमेकर, लिथोप्रेसमेन, लिथोऑफसेट प्लेटमेकर, लिथोऑफसेट कापी पेस्टर, लिथोऑफसेट प्रिंटर तथा लेथब्लेड प्रिंटर, लिथोऑफसेट ट्रांसफर प्रिंटर आदि ।

कुशल श्रेणी "दो" जैसे :-

केमरा ऑपरेटर, कमर्शियल आर्टिस्ट, ड्राफ्टमैन, हेड कम्प्यूटर, इलेक्ट्रीशियन, आफ्टिनएचर, ड्रायकलरेचर, लाईनो ऑपरेटर, लाईनो मेकेनिक, मेकेनिक मोनोटाईप की-बोर्ड ऑपरेटर, मोनोटाईप मेकेनिक ऑपरेटर, रोटरी प्रेसमेन, सेक्शन होल्डर, सीनियर रीडर आदि ।

कुशल श्रेणी "तीन" जैसे :-

कम्पोजिटर, टाईपकास्टर, ट्रांसफर प्रिंटर, सिलेण्डर प्रेसमेन, गिल्डर कारपेटर, ट्रेडल प्रेसमेनएचर, गिलेटिन ऑपरेटर, रिवांडर स्ट्रीचर मशीनमैन, कटर, बाईन्डर, सिविंग मशीनमेन, रूलिंग मशीन मेन, वायर स्ट्रीचर आदि ।

अर्द्धकुशल श्रेणी "एक" जैसे :-

लिथोऑफसेट, फिटरमेन, असिस्टेंट प्रेसमेन, वार्निसमेन, बैक्सीनर, बॉक्सीन मशीनमेन असिस्टेंट प्लेटमेकर, असिस्टेंट ट्रांसफर प्रिंटर, असिस्टेंट लिथोऑर्टिस्ट, टचरप्लेट, ग्रेनर स्टोन, पॉलिशर, असिस्टेंट कापी पेस्टर, असिस्टेंट कटर, असिस्टेंट रोटा प्रिंटिंग आदि ।

अर्द्धकुशल श्रेणी "दो" जैसे :-

स्ट्रेडिंग फार्म कीपर, ट्रेसर, फोल्डिंग मशीनमेन, जूनियर रीडर, बाक्स पंचर, हेण्डबॉक्स या इन्वललप मेकर, डिस्ट्रीब्यूटर, असिस्टेंट केमरा ऑपरेटर, असिस्टेंट एचर, लेटर प्रेस फिटर, काऊण्टर चेकर, नम्बर या पेजिंगमेन, चेकर प्रूफ कलर, या गेली प्रेसमेन, टाईपप्रेसर, रोलर मेकर या कास्टर, इंक ग्राइन्डर, परफोरेटर, लेंबर पंचर, रूलिंग फिडर, विमिंगमेन, ड्रायवर, डार्करूम असिस्टेंट फाउण्ड्री, असिस्टेंट ग्राइडिंग ऑपरेटर, जूनियर कम्पोजिटर, जूनियर बाईन्डर, जूनियर मशीन मेन, लाईनोबारमेन, रीटेल सप्लायर फीडर स्टीरियो, टाईपर, टाईप स्टोर कीपर आदि ।

अकुशल श्रेणी जैसे :-

रोटरी बिलर, हेण्डफोल्डर, बालर, हैल्पर बाइडिंग बायविलनर, मजदूर आकिजलरी, गेलीप्रूफ प्रेसमेन, बायलर, अटेंडेन्ट, इश्यूचेकर, इंकर, मेटर कास्टर, पेपर सप्लायर, कार्सिंगबाय रोलर कास्टर, चौकीदार, प्यून, माली, लिथो साधारण ऑफसेट तथा रोटा प्रिंटिंग प्रेस में कार्य करने वाला कर्मचारी आदि ।

  
( के.सी. गुप्ता )  
श्रमायुक्त,  
मध्यप्रदेश, इन्दौर

३-  
प्राची-

किसी रुपें ऐसी विमान आला में चियोजन

भारतीय भूमि का पर्याय भी अस्थिरित है (आंकड़े का पर्याय में)

न्यूनतम वेतन की परिवर्तनशील पुनरीक्षित दरे		कुल वेतन		कर्मचारियों का वर्ग		न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरे		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में राउण्ड अप कर दैनिक दरे		
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
(दिनांक 01.10.2015 से 31.03.2016 तक)		(दिनांक 01.04.2016 से 30.09.2016 तक)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10155.00	390.57	375.00	14.42	10530.00	405.00	405.00	405.00	10155.00	390.57	650.00	25.00	10805.00	415.57	416.00
9522.00	366.23	375.00	14.42	9897.00	380.65	381.00	381.00	9522.00	366.23	650.00	25.00	10172.00	391.23	391.00
6705.00	257.88	375.00	14.42	7080.00	272.30	272.00	272.00	6705.00	257.88	650.00	25.00	7355.00	282.88	283.00
8435.00	324.42	375.00	14.42	8810.00	324.42	324.00	324.00	8435.00	324.42	650.00	25.00	9085.00	349.42	349.00
5939.00	228.42	75.00	2.88	6575.00	253.00	253.00	253.00	6500.00	250.00	350.00	13.46	6850.00	263.46	263.00
9735.00	374.42	375.00	14.42	10110.00	388.84	389.00	389.00	9735.00	374.42	650.00	25.00	10385.00	399.42	399.00

ପ୍ରକାଶକ

- (1) मजदूरी निर्धारण में पेसे तथा रूपये के गुणांकों को राउण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7 / 2006 / नियम / चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें आगले उच्चतर रूपये में पूणीकृत किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

(2) अकृशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100), जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के कृपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो प्रतिविन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।

( के.सी. गुप्ता )  
श्रमाधिकार,  
मध्यप्रदेश, इंदौर

अनुसूची - स

किसी मुद्रणालय में नियोजन	मासिक एवं दैनिक वेतन की दरे जिसमें परिवर्तनशील महगाई भत्ता भी सम्मिलित है (आंकड़े रूपयों में)	परिवर्तनशील महगाई प्रतिशत दरे
भत्ता	प्रतिशत वेतन की गणितनशील महगाई	प्रतिशत वेतन की गणितनशील महगाई
राजस्थान	कर्मचारियों का वर्ग	कर्मचारियों का वर्ग
भूतपूर्व	कुल वेतन	कुल वेतन

दूरी निधारण में पैसे तथा रूपये के गुणाकों को राउण्ड अप करके ही देनिक एवं मासिक मजदूरी निधारित की जावेगी। वित विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7 / 2006 /नियम /चार, दूरी निधारण के लिए इनकांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अधिक उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूण्यकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा । दूरी निधारण के लिए इनकांक श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेवर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्भीत औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है । 253 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी उसी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो प्रतिविन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई घोषित किया जावेगा।

(4)

(2)

३८५

मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक वेतन एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भरता समिलित है। (आंकड़े रूपयों में)

### अनुसूची –क्र

न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भरता		कुल वेतन		रूपये में राजपंड अप दैनिक बरें		कर्मचारियों का वर्ग		न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भरता		कुल वेतन		रूपये में राजपंड अप		
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
(दिनांक 01.10.2015 से 31.03.2016 तक)																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5939.00	197.96	75.00	2.50	6575.00	219.16	219.00	6500.00	250.00	350.00	11.66	6850.00	228.33	228.00					
7057.00	235.23	375.00	12.50	7432.00	247.73	248.00	6492.00	235.23	650.00	21.66	7707.00	256.90	257.00					
8435.00	281.16	375.00	12.50	8810.00	293.66	294.00	8435.00	281.16	650.00	21.66	9085.00	302.83	303.00					
9735.00	324.50	375.00	12.50	10110.00	337.00	337.00	9735.00	324.50	650.00	21.66	10385.00	346.16	346.00					

### स्पष्टीकरण—

(1) मजदूरी निर्धारण में पेसे तथा रूपये के गुणांकों को राजपंड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर 2006 में 50 पेसे अथवा उससे अधिक पेसे हो तो, उहाँ अगले उच्चतर रूपये में पूणिकित किया जावेगा और 50 पेसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

विशेष टीप :- उपर्युक्त अनुसूची –क्र में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई है। इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित सापाहिक अवकाश देय होगा, अर्थात् मासिक वेतन में से सापाहिक अवकाश के लिए कोई कठोरी नहीं की जा सकेगी।

(नोट:- कालम नं. 6 एवं 7 प्रथम में सशोधित अक्षुल )

(2) अक्षुल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्भित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उभयोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो प्रतिविन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भरता घोषित किया जावेगा।

  
( के.गुप्ता )  
श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इन्वैर

## श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांक: 2/1/अन्वे./पांच/2015/10801-1100,

इन्दौर, दिनांक 01-4-16

### अधिसूचना

मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2 (घ) में निहित प्रावधान सह पठित मध्यप्रदेश श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82 दिनांक 25.5.1982 के अनुसरण में, मैं एतद् द्वारा अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया। जुलाई 2015 से दिसम्बर 2015 तक के माहों के लिये निम्नानुसार घोषित करता हूँ:-

माह/वर्ष 2015	अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87 = 100)
जुलाई	822
अगस्त	832
सितम्बर	839
अक्टूबर	849
नवम्बर	853
दिसम्बर	853
(औसत सूचकांक)	5048÷6 = 841

तथा इनका औसत 841 घोषित करता हूँ। जो कि परिशिष्टित नियोजन के श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट आफ लिहिंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिसमें कि श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (बी)-1-2014-ए-सोलह दिनांक 4.3.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014) द्वारा 1.04.2016 से 30.09.2016 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है।

  
 ( के.सी. गुप्ता )

श्रमायुक्त,  
 मध्यप्रदेश, इंदौर  
 एवं न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर  
कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिये 01/04/2016 से 30/09/2016 तक की अवधि हेतु परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-४(बी)/१-२०१४-५ सोलह दिनांक ४.३.२०१४ (मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण भाग ४(ग) दिनांक १०.१०.२०१४) के अंतर्गत कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिये पुनरीक्षित दरों को अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संबंध किया गया है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर की अधिसूचना क्रमांक २/११/अन्वे./पांच./२०१५/१०८०१-११.१०८ दिनांक १.५.२०१६ के अनुसार कृषि नियोजन में जुलाई २०१५ से दिसंबर २०१५ तक की अवधि में अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत ८४१ रहा है। गत छ: माही के अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत ८०८ के ऊपर (८४१-८०८)=३३ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप कृषि नियोजन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता ६/-रूपये प्रतिमाह के मान से रूपये ६X३३=१९८.०० रूपये प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ७६८ (१९८६-८७=१००) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि (८४१-७६८)=७३ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रु.( ७३X६ )=४३८ प्रतिमाह या प्रतिदिन (४३८÷३०)=१४.६० यानी प्रतिमाह मंहगाई भत्ते सहित देय वेतन ५३५०+४३८=५७८८.०० रूपये तथा ५७८८÷३०=१९२.९३ प्रतिदिन (३० दिन के मान से) दिनांक ०१.०४.२०१६ से ३०.०९.२०१६ तक देय है।  
 (अनुसूची द)

## अनुसूची – द

### कृषि में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (आंकडे रूपयों में)

न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में श्रमिकों राज़उण्ड का वर्ग		न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राज़उण्ड अप कर दैनिक दरें	
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन

(दिनांक 1.10.2015 से 31.03.2016 तक)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5350.00	178.33	240.00	8.00	5590.00	186.33	186.00	अकुशल	5350.00	178.33	438.00	14.60	5788.00	192.93	193.00

### स्पष्टीकरण— परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता :-

(1) न्यूनतम वेतन की दरे तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता, जो लेबर ब्लूरो, शिमला द्वारा निर्भित अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मुल्य सूचकांक 768 (1986–87 =100) जनवरी से जून, 2014 के आधार आकड़ों के औसत वृद्धि के उपर प्रति 6 माह में हुई औसत वृद्धि के अनुपात में 01 अक्टूबर से प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 06 रूपये (छ. रूपये के मान से देय होगा। 01 अप्रैल से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना गत जुलाई से दिसम्बर तक छ. माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी। इसी प्रकार 01 अक्टूबर से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना गत जनवरी से जून तक छ. माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी, जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित की जावेगी।

(2) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राज़उण्ड अप करके ही दोनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिषत्र क्रमांक ९-७ / 2006 / नियम / चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें आगले उच्चतर रूपये में पूर्णिकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

(3) मासिक वेतन पर नियुक्त किसी कर्मचारी का दैनिक वेतन 30 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।

(4) अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरे न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दर से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी।

(5) इस अधिसूचना के अंतर्गत वेतन दरों महिला एवं पुरुषों के लिए एक समान नियत है।

(6) कृषि नियोजन के अतिरिक्त सभी नियोजनों के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम वेतन दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 13 की उपचारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकलित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित हैं।

  
( के.सी. गुप्ता )

श्रम आयुक्त,  
मध्यप्रदेश, इन्दौर

### श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांक: 3/11/अन्वे./पांच/2015/ 1101-400,

इंदौर, दिनांक 01-4-16,

#### अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4 (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.5.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मै के.सी. गुप्ता, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर विगत जनवरी 2015 से दिसम्बर 2015 तक के माहों के लिये सूचकांकों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रकाशित करता हूँ :-

माह/वर्ष		अखिल भारतीय बीडी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
1.	जनवरी 2015	5798
2.	फरवरी 2015	5773
3.	मार्च 2015	5798
4.	अप्रैल 2015	5842
5.	मई 2015	5891
6.	जून 2015	5955
7.	जुलाई, 2015	6003.21
8.	अगस्त, 2015	6026.04
9.	सितंबर, 2015	6071.69
10.	अक्टूबर 2015	6140.17
11.	नवम्बर, 2015	6162.99
12.	दिसंबर, 2015	6140.17
(औसत)		$71601 \div 12 = 5967$

तथा उक्तानुसार इनका औसत 5967 घोषित करता हूँ। जो कि किसी तम्बाकू (जिसमें बीडी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिये वार्षिक औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (एन्युअल एवरेज कास्ट आफ लीविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय एवं श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी) 1-2013-ए-सोलह दिनांक दिनांक 08.12.2014 (म.प्र. राजपत्र में भाग 4(ग) दिनांक 12 दिसम्बर 2014 में प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ट परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता बीडी श्रमिकों को दिनांक 01/04/2016 से 31/03/2017 तक देय रहेगा।

( के.सी. गुप्ता )

श्रमायुक्त,

मध्यप्रदेश, इंदौर तथा

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत

सक्षम प्राधिकारी

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (सी)–ए–94–16–ए दिनांक 5.6.97 (म.प्र. राजपत्र दिनांक 7.6.97) एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी) 1–2013 दिनांक 8.12.2014 (म.प्र.राजपत्र भाग (ग) दिनांक 12 दिसंबर 2014) के अंतर्गत किसी तंबाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंद्ध किया गया है। जो दिनांक 1.01.2016 से 31.12.2016 तक देय है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर की अधिसूचना क्रमांक 3/11/अ/पांच/15/।।।।।-५०० दिनांक ।।।।।-५०२०।। के अनुसार जनवरी 2015 से दिसम्बर 2015 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 5967 रहा है, इस तरह जनवरी 2015 से दिसम्बर 2015 तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (5967–5635=332) 332 अंकों की, वृद्धि हुई है। तथा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5299 (1960=100) के आधार आंकड़ों के औसत के ऊपर (5967–5299=668 पाइंट) 668 औसत बिंदुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप किसी तंबाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 1 पैसे प्रति बिंदु प्रति हजार बीड़ी के मान से रूपये 6.68 परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता दिनांक 1.04.2016 से 31.03.2017 तक देय होगा।

(अनुसूची – ई)

किसी तंबाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें	कुल वेतन
1.	2.	3.	4.
1. बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बनाने के लिये)	रु 74.00	रु. 6.68	रु. 80.68 किंतु यदि श्रमिक को किसी सप्ताह में प्राप्त होने वाले वेतन का योग रूपये 515.00 से कम हो तो उसे इस अधिसूचना के परिशिष्ट में बताई गई शर्तों के अनुसार कम से कम रूपये 515.00 का भुगतान उस सप्ताह में किया जावेगा।

नोट:-एक हजार बीड़ी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये 80.68 के अतिरिक्त बीड़ी श्रमिकों को बोनस पेटे 8.33 प्रतिशत (7.05) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 5 प्रतिशत (4.03)एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 10 प्रतिशत (8.47) इस प्रकार कुल रूपये 100.23 देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रूपये 16.94 की होगी। इस प्रकार 1000 बीड़ी बेलने पर दिनांक 1.04.2016 से 31.03.2017 की अवधि में श्रमिकों को कुल रूपये 8.47 एवं भविष्य निधि कटौती उपरान्त शुद्ध राशि 83.29 प्रति हजार बीड़ी देय होगी

## 2. रिलाई श्रमिक

### अ. बीड़ी के कट्टो पर झिल्ली लगाना

1. लेबल चिपकाने तथा पुड़ों को बनाने या चिपकाने संबंधी कार्य	रुपये 52.39 प्रति 1000 कट्टों पर	02 पैसे प्रति दो हजार	रुपये 59.07
2. यदि कट्टे पर दोनों ओर लेबल लगाया जाता है।	रुपये 56.26 प्रति 1000 कट्टों पर	02 पैसे प्रति दो हजार	रुपये 62.94

### ब. झिल्ली एवं लेबल लगाने संबंधी कार्य

1. झिल्ली लेबल लगाना	रुपये 45.95 प्रति एक हजार कट्टों पर	02 पैसे प्रति दो हजार	रुपये 52.63
2. झिल्ली लगाना	रुपये 33.54 प्रति एक हजार कट्टों पर	03 पैसे प्रति चार हजार	रुपये 38.55
3. लेबल लगाना	रुपये 12.84 प्रति एक हजार कट्टों पर	02 पैसे प्रति आठ हजार	रुपये 14.56
4. पुड़ा बनाना या चिपकाना	रुपये 13.25 प्रति एक हजार कट्टों पर	02 पैसे प्रति आठ हजार	रुपये 14.97

### स. एक हजार कट्टो पर जबकि 25 बीड़ियों का कट्टा हो

1. आड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य हो	रुपये 192.64 प्रति एक लाख बीड़ी पर	4 पैसे प्रति लाख बीड़ी पर	रुपये 219.36
2. झिल्ली आड़ी तथा खड़ी लगाने का कार्य हो	रुपये 213.59 प्रति एक लाख बीड़ी पर	4 पैसे प्रति लाख बीड़ी पर	रुपये 240.31
3. झिल्ली तथा नक्शी झिल्ली लगाने का कार्य	रुपये 213.59 प्रति एक लाख बीड़ी पर	4 पैसे प्रति लाख बीड़ी पर	रुपये 240.31

**नोट:-** बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों जैसे, बीड़ी छाटने तथा जांच करने वाले, तम्बाकू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने वाला, भट्टी वाला रसोइया, ड्राइवर (भारी वाहन), हल्का वाहन, एकाउन्टेंट, मुनीम, कैशियर, गोडाउनकीपर, स्टोरकीपर टाईपिस्ट, बिलमेन, वर्कर, भृत्य, चौकीदार के वेतन न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत समय समय पर निर्धारित कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के वेतन के अनुसार नियमित होंगे।

इस प्रयोजन के लिये उपर्युक्त कर्मकारों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जावेगा।

- 1— कुशल:— ड्रायवर (चालक) (भारी वाहन), एकाउटेन्ट, मुनीम, कैशियर, स्टोरकीपर, हेडवर्कर, गोडाउन कीपर
- 2— अर्धकुशल:— बीड़ी छाटने तथा जांच करने वाला, भट्टीवाला, रसोइया, ड्राइवर (हल्का वाहन) टाईपिस्ट, बिलमेन, वर्कर
- 3— अकुशल द्रक से माल चढ़ाने या उतारने या बीड़ियों के पूड़ों के कार्य में लगा श्रमिक, भृत्य, चौकीदार

**Effective Wages of Beedi Rollers (for rolling of 1000 Beedies)**  
**effective from 01/4/2016 to 31/03/2017**

**V.D.A. revisable annually with effect from 01/04/2016**

01.	Basic Wage	74.00
02.	Variable Dearness Allowance	6.68
03.	Leave with Salary (@5% of total wages)	4.03
04.	Total Wages	84.71
05.	Bonus (@ 8.33% of Total Wages)	7.05
06.	P.F. contribution of employer (@10% of total wages)	8.47
07.	Total wages + Bonus + PF Contribution) Less Contribution of employer (-)	100.23 8.47
08.	Total Wages + Bonus	91.76
09.	Less PF Contribution of employee (@ 10% of Total Wages) (-)	8.47
10.	Net Payable to Beedi Roller	83.29

  
**( K.C. GUPTA )**  
 Labour Commissioner  
 Madhya Pradesh, Indore

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांक: 3/11/अन्वे./पांच/2015/ 11401-700

इंदौर, दिनांक 01-4-16,

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4 (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.5.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मैं के.सी. गुप्ता, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर विगत जुलाई 2015 से दिसम्बर 2015 तक के माहों के लिये सूचकांकों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रकाशित करता हूँ :—

माह / वर्ष	अखिल भारतीय बीड़ी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
1. जुलाई, 2015	263
2. अगस्त, 2015	264
3. सितंबर, 2015	266
4. अक्टूबर 2015	269
5. नवम्बर, 2015	270
6. दिसंबर, 2015 (औसत)	269  1601 ÷ 6 = 266.83 (267)

तथा उक्तानुसार इनका औसत 267 घोषित करता हूँ। जो कि किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये मासिक औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (एन्युअल एवरेज कास्ट आफ लीविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय एवं श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी) 1-2013-ए-सोलह दिनांक 08.12.2014 (म.प्र. राजपत्र में भाग 4(ग) दिनांक 12 दिसम्बर 2014 में प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ट परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता नियोजित दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को दिनांक 01/04/2016 से 31/09/2016 तक देय रहेगा।

  
 ( के.सी. गुप्ता )  
 श्रमायुक्त,  
 मध्यप्रदेश, इंदौर तथा  
 न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत  
 सक्षम प्राधिकारी

### परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (सी)–ए–94–16–ए दिनांक 5.6.97 (म.प्र. राजपत्र दिनांक 7.6.97) एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी) 1–2013 दिनांक 8.12.2014 (म.प्र.राजपत्र भाग (ग) दिनांक 12 दिसंबर 2014) के अंतर्गत किसी तंबाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विर्निमाण में नियोजन में दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंद्ध किया गया है। जो दिनांक 1.01.2016 से 31.12.2016 तक देय है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर की अधिसूचना क्रमांक 3/11/अ/पांच/15/.... 11401-700 दिनांक 1-4-2016 के अनुसार जनवरी 2015 से दिसम्बर 2015 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 267 रहा है, जिसके कारण गत छः माही के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत 256 के ऊपर (267–256)=11 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप बीड़ी नियोजन में दैनिक एवं मासिक वेतन दरों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये 25 प्रति विन्दु प्रतिमाह के मान से रूपये  $25 \times 11 = 275$  प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्यसूचकांक 239 (2001=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में  $267 - 239 = 28$  औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रूपये  $25 \times 28 = 700.00$  प्रतिमाह या  $700 \div 26 =$ रूपये 26.92 प्रतिदिन दिनांक 01.04.2016 से 30.09.2016 तक देय है।

बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की दर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित दिनांक 01.04.2016 से 30.09.2016 तक निम्नानुसार देय है :—

क्रं.	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन	मंहगाई भत्ता	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राऊण्ड अप कर दैनिक दरें
				प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
1	तम्बाकू तथा तेन्दूपत्ता देने या बीड़िया प्राप्त करने एवं उसकी छटनी करने संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति	5075.00.	195.19	700.00	26.92	5775.00	222.11	222.00
2	द्रक में माल चढ़ाने या उतारने या बीड़ियों के पूँड़ों को भरने के कार्य में लगे व्यक्ति	4945.00	190.19	700.00	26.92	5645.00	217.11	217.00
3	तम्बाकू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने के लिए	5075.00	195.19	700.00	26.92	5775.00	222.11	222.00
4	भट्टी वाला रसोईया	5075.00	195.19	700.00	26.92	5775.00	222.11	222.00
5	झायव्हर (चालक) भारी वाहन, झायव्हर (चालक) हल्के वाहन	5225.00 5075.00	200.96 195.19	700.00 700.00	26.92 26.92	5925.00 5775.00	227.88 222.11	228.00 222.00
6	एकाउन्टेन्ट, मुनीम, केंशियर, स्टोरकीपर, गोडाउन कीपर, हेडवर्ल्क	5225.00	200.96	700.00	26.92	5925.00	227.88	228.00
7	टायपिस्ट, वर्ल्क, बिलमेन	5075.00	195.19	700.00	26.92	5775.00	222.11	222.00
8	भृत्य, चौकीदार	4945.00	190.19	700.00	26.92	5645.00	217.11	217.00

### स्पष्टीकरण

- मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राऊण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

2. अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक इन वेतन दरों में सम्मिलित है।
3. परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता उपरोक्त अनुसूची (ई) के स्तंभ तीन में लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा निर्मित ओद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, 5635 (2001=100) पर आधारित है। 5635 सूचकांक के उपर प्रति एक वर्ष में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में अनुसूची के स्तंभ क्रमांक 4 में वृद्धि दिनांक 1 जनवरी से की जावेगी, और स्तंभ तीन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता में हुई यह वृद्धि परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता मानी जावेगी। एक जनवरी से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की वृद्धि की गणना गत जनवरी से दिसम्बर तक के एक वर्ष के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी। जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजपत्र में समय समय पर प्रकाशित की जावेगी।
4. निर्धारित मासिक वेतन केंलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगा, एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जायेगा।
5. जहां नियोजक प्रति सप्ताह 5600 बीड़ी बनाने के लिये लगने वाला कच्चा माल तम्बाखु तेंदूपत्ता, धागा पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाता, तब कर्मचारी कम से कम 5600 बीड़ी के लिये देय वेतन तथा विशेष मंहगाई भत्ता प्रति सप्ताह जिसे आगे गारेन्टेड वेज कहा जायेगा प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
6. गारंटी वेज में कर्मचारी द्वारा किसी भी दिन उसके नियोजक द्वारा दिये गये कच्चे माल की मात्रा में वास्तव में बनाई गई बीड़ी का जो वेतन अर्जित करेगा वह भी सम्मिलित होगा।
7. यदि कर्मचारी किसी अन्य कारण या इच्छा से किसी भी दिन गारेन्टेड वेज की राशि से कम वेतन अर्जित करता है, तो कर्मचारी गारंटी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
8. जो कर्मचारी दिये गये कच्चे माल की मात्रा यद्यपि वह 5600 बीड़िया सप्ताह में बनाने के लिये पर्याप्त हो, का पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर पाता है तो वह गारंटी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
09. आग, विपत्ति, महामारी, असैनिक क्षौभ या इसके समान अन्य स्थिति में जो नियोजक के नियंत्रण के बाहर है यदि नियोजक कर्मचारी को कच्चा माल नहीं दे पाता है, तो कर्मचारी गारंटी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

  
 ( के.सी. गुप्ता )  
 श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर

## श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांक: 4/11/अन्वे./पांच/2015/ 11701-12000

इंदौर, दिनांक 01-4-16

### अधिसूचना

### अगरबत्ती उद्योग

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82 दिनांक 25.5.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये एतद द्वारा अखिल भारतीय अगरबत्ती उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मैं के.सी. गुप्ता, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर विगत जुलाई 2015 से दिसम्बर 2015 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत निमानुसार घोषित करता हूँ।

माह/वर्ष 2015	अखिल भारतीय अगरबत्ती उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जुलाई	263
अगस्त	264
सितम्बर	266
अक्टूबर	269
नवम्बर	270
दिसम्बर	269
(औसत)	1601 ÷ 6 = 266.83 (267)

अतः विगत छः माही का औसत 267 घोषित करता हूँ जो कि अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कार्स्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नम्बर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 4 ( सी ) 1-2013-ए-सोलह दिनांक 29/09/2014 एवं श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक भाग 4(ग) दिनांक 10.10.2014 के द्वारा निर्देशित परिवर्तनशील महगाई भत्ता अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को दिनांक 1.04.2016 से 30.09.2016 तक देय है।

  
( के.सी. गुप्ता )

श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर एवं  
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948  
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की सगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

अगरबत्ती उद्योग

श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी) 1-2013-ए-सोलह दिनांक 29/09/2014 एवं श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक भाग 4 (ग) दिनांक 10/10/2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 10/10/2014 में प्रकाशित) के अंतर्गत अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंद्ध किया गया है। जो दिनांक 01/04/2016 से 30/09/2016 तक देय है।

श्रमायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश शासन, इंदौर की अधिसूचना क्रमांक 4/11/अन्वे./पांच/2015/ 11701-13000 दिनांक 1-5-2016 के अनुसार, जुलाई 2015 से दिसम्बर 2015 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 267 रहा है जिस कारण गत छः माही के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत 253 के ऊपर (267-253)=14 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप अगरबत्ती नियोजन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये 25 प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से (25x14)=रु. 350.00 प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि (267-241)=26 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि (25x26)=रूपये 650.00 प्रतिमाह या (650÷26)=रूपये 25.00 प्रतिदिन दिनांक 1.04.2016 से 30.09.2016 तक देय है इसी तरह प्रति एक हजार अगरबत्ती रोल करने पर (100 पैसे प्रति 4000) के मान से 25 पैसे प्रति हजार प्रति बिन्दु के मान से कुल बिन्दु 26 पर (25x26) 6.50 पैसे अथवा 6 रूपये 50 पैसे परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता दिनांक 01/04/2016 से 30/09/2016 तक देय है।

अनुसूची एफ

अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदूरी की दरें

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मजदूरी	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित कुल वेतन मंहगाई भत्ते की दरें
अ. अगरबत्ती रोलर्स (1000 अगरबत्ती रोल करने पर) साधारण	रु. 21.40 रु. 22.00	100 पैसा प्रति 4 हजार (25 पैसा प्रति बिन्दु) 100 पैसा प्रति 4 हजार (25 पैसा प्रति बिन्दु)
ब. सुगंधित (सेटेड)		रुपये 27.90 रुपये 28.50

(आ) निम्न वजन के अनुसार अग्रबत्ती गिनना, बटर पेपर की झिल्ली लपेटना, खाली पैकेट में भरकर पैकेट के दोनों ओर चिट लगाकर पैकेट बंद करना

### बिना सिलोफेन या जिलेटन के

			रु. पैसे
1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	रु. 20.48	100 पैसा प्रति 500 25.68
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	रु. 21.34	100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिंदु) 26.54
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	रु. 21.34	100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिंदु) 26.54
4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	रु. 27.23	100 पैसा प्रति 400 ( 25 पैसा प्रति बिंदु) 33.73
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	रु. 36.58	100 पैसा प्रति 300 ( 33 पैसा प्रति बिंदु) 45.16
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	रु. 41.54	100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिंदु) 51.94
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	रु. 43.12	100 पैसा प्रति 250 ( 40 पैसा प्रति बिंदु) 53.52
8. 200 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	रु. 52.76	100 पैसा प्रति 200 ( 50 पैसा प्रति बिंदु) 65.76

### सिलोफेन या जिलेटन के

1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	रु. 21.34	100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिंदु) 26.54
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	रु. 26.60	100 पैसा प्रति 400 ( 25 पैसा प्रति बिंदु) 33.10
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	रु. 33.00	100 पैसा प्रति 300 ( 33 पैसा प्रति बिंदु) 41.58
4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	रु. 34.48	100 पैसा प्रति 300 ( 33 पैसा प्रति बिंदु) 43.06
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	रु. 37.03	100 पैसा प्रति 300 ( 33 पैसा प्रति बिंदु) 45.61
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	रु. 43.12	100 पैसा प्रति 250 ( 40 पैसा प्रति बिंदु) 53.52
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	रु. 51.00	100 पैसा प्रति 200 ( 50 पैसा प्रति बिंदु) 64.00
8. 200 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	रु. 54.47	100 पैसा प्रति 200 ( 50 पैसा प्रति बिंदु) 67.47

(इ) निम्नानुसार पुंगली बनाकर पेक करना निम्न संख्या में अगरबत्तीयों को गिनकर झिल्ली लपेटना, पुंगलीयों में भरना, लेबल या सिलोफेन या जिलेटीन का ब्राउन पेपर लगाकर बंदकर चीट लगाना.

### बिना सिलोफेन या जिलेटन के

				रु. पै.
1. 10 अगरबत्ती के लिये	प्रति सैकड़ा	रु. 16.98	100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति बिंदु)	21.40
2. 12 अगरबत्ती के लिये	प्रति सैकड़ा	रु. 17.80	100 पैसा प्रति 600 ( 17 पैसा प्रति बिंदु)	22.22
3. 23 अगरबत्ती के लिये	प्रति सैकड़ा	रु. 21.30	100 पैसा प्रति 500 ( 20 पैसा प्रति बिंदु)	26.50
4. 50 अगरबत्ती के लिये	प्रति सैकड़ा	रु. 22.19	100 पैसा प्रति 500 ( 20 पैसा प्रति बिंदु)	27.39
5. 100 अगरबत्ती के लिये	प्रति सैकड़ा	रु. 26.60	100 पैसा प्रति 400 ( 25 पैसा प्रति बिंदु)	33.10
6. 200 अगरबत्ती के लिये	प्रति सैकड़ा	रु. 28.70	100 पैसा प्रति 400 ( 25 पैसा प्रति बिंदु)	35.20

### (ई) सादे लिफाफे में अगरबत्ती रखकर बंद करना:

1. 5 अगरबत्ती के लिये	प्रति सैकड़ा	3.85	100 पैसा प्रति 2500 ( 04 पैसा प्रति बिंदु)	4.89
2. 10 अगरबत्ती के लिफाफे के लिये रोल बनाना	प्रति सैकड़ा	4.44	100 पैसा प्रति 2200 ( 05 पैसा प्रति बिंदु)	5.74
3. पुंगली बनाने के कागज (रोलिंग पेपर्स)	प्रति 1000	36.34	100 पैसा प्रति 1500 ( 7 पैसा प्रति बिंदु)	38.16

कर्मचारियों का वर्ग (मासिक दर) न्यूनतम मजदूरी

01.04.2016 से 30.09.2016 तक

क्रं.	कर्मचारियों का वर्ग	मूलवेतन	परिवर्तनशील		कुल वेतन		रूपये में राऊण्ड अप	
			प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1.	एकाउटेंट, केशियर, गोडाउनकीपर	8435.00	324.42	650.00	25.00	9085.00	349.42	349.00
2.	टाईपिस्ट, कलर्क	7057.00	271.42	650.00	25.00	7707.00	296.00	296.00
3.	मिस्त्री, ड्राईवर, पेटी बनाने वाला	8435.00	324.42	650.00	25.00	9085.00	349.42	349.00
4.	पेटी भरनेवाला, मसाला तोलने वाला	7057.00	271.42	650.00	25.00	7707.00	296.00	296.00
5.	पुड़ा बनाने वाला मसाला भरने वाला, भृत्य, चौकीदार	5939.00	228.42	650.00	25.00	6589.00	253.00	253.00

नोट:- अगरबत्ती उद्योग से संबंध कर्मचारी जैसे पेटी बनाने वाला, मिस्त्री, ड्राईवर, पेटी भरने वाला, मसाला तोलनेवाला, अकाउटेंट, केशियर, गोडाउन कीपर, टाईपिस्ट, कलर्क, भृत्य आदि की दैनिक या मासिक मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन, कुशल अर्धकुशल एवं अकुशल प्रवर्ग की मजदूरी के अनुसार विनियमित की जावेगी।

स्पष्टीकरण

- मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राऊण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

2. अनुसूची के कॉलम 2 में उपदर्शित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता (व्ही.डी.ए.) जनवरी, 2014 से जून 2014 में औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (जिसे इसमें इसके पश्चात सूचकांक कहा जायेगा) 241 (2001=100) से अधिक पर इस अधिसूचना के कालम 3 में उपदर्शित प्रत्येक काम के लिये प्रतिबिंदु सम्मुख अंकित किये गये अनुसार दर से तथा मासिक दर पर कार्यरत कर्मचारियों के लिये रूपये 25.00 प्रति बिंदु प्रति माह की दर से संदेय होगा। जिसकी गणना प्रत्येक छः माह जुलाई से दिसंबर तथा जनवरी से जून जैसी भी स्थिति हो, के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी और कमशः 1 अप्रैल तथा 1 अक्टूबर से देय होगी। इस प्रकार संगणित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता न्यूनतम वेतन का भाग होगा। उक्त औसत सूचकांक न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में घोषित किया जावेगा।
3. अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी परिस्थिति में कम नहीं की जावेगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा(1) के खंड (ख) के अधीन परिकल्पित किये गये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पुनरीक्षित दरों में पारिश्रमिक सम्मिलित है।
4. निर्धारित मासिक मजदूरी कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगी, जहां मजदूरी की मासिक दर नियत की गई है। वहां यदि एक दिन की मजदूरी संगणित की जानी हो, तो मासिक मजदूरी को 26 से भाग देकर अभिप्राप्त की जावेगी, जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 13 में बताये गये अनुसार विश्राम दिवस का पारिश्रमिक भी सम्मिलित होगा।

*( के.सी. गुप्ता )*  
श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर

## श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांक: 5/11/अन्वे./पांच/2015/12001-300,

इंदौर, दिनांक 01-4-16/

प्रतिलिपि:-

1. उपनियंत्रक शासकीय प्रादेशिक मुद्रणालय, ग्वालियर, मध्यप्रदेश की ओर अधिसूचना की प्रति भेजते हुए कि इस अधिसूचना को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक के भाग 3 (1) में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. राहत आयुक्त, वल्लभ भवन, भोपाल.
3. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर मध्यप्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशनार्थ अग्रेषित.
4. केंद्र निदेशक, आकाशवाणी केंद्र, इंदौर की ओर प्रसारण हेतु अग्रेषित.
5. उपसंचालक, जनसंपर्क विभाग इंदौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.
6. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित.
7. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक 303/आर/577/92/नि-514 दिनांक 30.6.1992 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
8. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, स्थापना, अधीक्षण, भोपाल.
9. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल.
10. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग भोपाल.
11. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, भोपाल.
12. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कृषक कल्याण विकास, भोपाल.
13. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल (राहत शाखा)
14. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, भोपाल.
15. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पुनर्वास विभाग, भोपाल.
16. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल.
17. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल.
18. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, भोपाल.
19. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल.
20. सचिव, लोक सेवा आयोग, म.प्र. इंदौर.
21. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, भोपाल
22. महालेखाकार, प्रथम एवं द्वितीय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ.
23. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश.
24. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश
25. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
26. संचालक, कृषि विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.
27. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल.
28. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल.
29. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, भोपाल .
30. मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.
31. उप श्रमायुक्त, भोपाल.
32. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश, इंदौर.
33. सहायक श्रमायुक्त, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, सतना, ग्वालियर, जबलपुर, मंदसौर, चंबल (मुरैना), नर्मदापुरम् (होशंगाबाद) शहडोल, सिंगरोली।
34. शासकीय श्रम पदाधिकारी, बुरहानपुर, देवास, कटनी, धार, बालाघाट, रतलाम, झाबुआ, शाजापुर, गुना, दमोह, शहडोल, विदिशा, मंडला, बैतुल, रीवा, खरगोन, पीथमपुर, मालनपुर, मंडीदीप, छतरपुर, छिंदवाड़ा, भिंड, राजगढ़ (ब्यावरा), सीधी, ।
35. प्रभारी अधिकारी, समस्त शाखायें, मुख्यालय, इंदौर .

36. संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इंदौर भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर.
37. उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, सतना, देवास, रत्लाम.
38. सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मंदसौर.
39. सचिव, म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, 82, हर्षवर्धन नगर, भोपाल,
40. कल्याण आयुक्त, म.प्र. श्रम कल्याण मण्डल, 83, मालवीय नगर, भोपाल
41. लेबर ब्यूरो, शिमला,(हिमाचल प्रदेश) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत कृषि नियोजन में न्यूनतम वेतन परिवर्तन शील मंहगाई भत्ते सहित प्रभावशील कराने के लिये विकासखंड स्तर पर पदस्थ श्रम निरीक्षकों को संबंधित प्रभारी अधिकारी, आवश्यक निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रदान करें।



( के.सी. गुप्ता )  
श्रम आयुक्त,  
मध्यप्रदेश, इन्दौर